कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

// आदेश //

क्रमांक : 118/दो–16–1/2024 **महासमुन्द, दिनांक 09/06/2025**

इस न्यायिक जिला स्थापना के अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 01/2024 दिनांक 13.12.2024 के परिपेक्ष्य में भर्ती चयन समिति महासमुन्द की अनुशंसा दिनांक 04.05.2025 के आधार पर सहायक ग्रेड–3 के पद पर चयनित उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने के फलस्वरूप प्रतीक्षा सूची के निम्नांकित उम्मीदवार को **सहायक ग्रेड–3 के समकक्ष** पद पर वेतन मैट्रीक्स रू. 19500-62000 (Level-04) में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निर्धारित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :–

क्रं.	चयनित उम्मीदवार का नाम पिता का नाम एवं पता	चयनित वर्ग
1	श्री हिमांशु सिन्हा पिता श्री उमा कुमार सिन्हा, पता – वार्ड नं. 02 बजरंगपुर, नवागांव राजनांदगांव (छ.ग.) पिन–491441	अन्य पिछड़ा वर्ग (मुक्त)

टीपः– चयनित उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात पदस्थापना से संबंधित आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे ।

नियुक्ति की शर्तें –

1. उपरोक्त उम्मीदवार को आदेश प्राप्ति से अधिकतम 15 दिवस के भीतर अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा अन्यथा उनकी नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
2. चयनित उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण करते समय सेवापुस्तिका एवं मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज जो आवेदन के साथ संलग्न है, कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा । शैक्षणिक अथवा अन्य दस्तावेज किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी ।
3. चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय महासमुन्द के मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि वे उपयुक्त नहीं पाए जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी ।

4. चरित्र सत्यापन में अथवा किसी अन्य माध्यम से यह प्रकट होता है कि पदधारी की किसी प्रकार के अपराध में संलिप्तता है तो नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।
5. परिवीक्षा अवधि के दौरान कार्य, व्यवहार तथा आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर अथवा किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी ।
6. उनकी सेवाएं कभी भी बिना कोई कारण बताए एक माह की पूर्व सूचना देकर अथवा एक माह के वेतन का भुगतान कर उन्हें तत्काल सेवामुक्त किया जा सकेगा। यदि वे स्वयं शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा एक माह का वेतन एवं भत्ते की राशि शासकीय कोष में जमा कर किसी भी समय सेवा छोड़ सकेंगे ।
7. अन्य विभागों में नौकरी के लिए आवेदन पत्र कार्यालय के बगैर अनुमति के प्रस्तुत नहीं करेंगे ।
8. यह नियुक्ति आदेश पूर्णतः प्राविधिक (Provisional) है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक 19668/2022 में पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होगा ।

सही/–
(श्रीमती अनिता डहरिया)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
महासमुन्द (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक 2018/दो–16–1/2024 महासमुन्द, दिनांक 10/06/2025

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर
2. अध्यक्ष, भर्ती चयन समिति/प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुन्द
3. जिला कोषालय अधिकारी, महासमुन्द
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, महासमुन्द
5. लेखापाल, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुन्द
   की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. श्री हिमांशु सिन्हा पिता श्री उमा कुमार सिन्हा, पता –वार्ड नं. 02 बजरंगपुर, नवागांव राजनांदगांव (छ.ग.) पिन–491441
   की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सही/–
(श्रीमती अनिता डहरिया)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
महासमुन्द (छ.ग.)